

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

अदि. प्रार्थना पत्र सं. 04/21	धारा अंतर्गत 30215	ग्राम कडावा	तहसील दुबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राघवेन्द्र प्रताप सिंह	बनाम	राज0 सरकार	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/3/21	<p align="center">अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इजराय इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार को वास्ते पालना तहरीर जारी की जावे कि यदि उक्त प्रकरण में किसी अपर कोर्ट का स्थगन आदेश न हो ता मुताबिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवावे। पत्रावली दिनांक 19/4/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i></p>	
19/4/21	<p>आज पी.सी.सी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/5/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारां),</p>	
24/5/21	<p>आज पी.सी.सी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/6/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारां),</p>	
23/6/21	<p>आज पी.सी.सी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/8/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा (बारां),</p>	

दिनांक

18/6/22

पञ्जावली प्रशासन ग्रांथ के क्षेत्र अतिथित 2021 के तहत वृत्त स्तरीय फालोअप शिविर ग्राम पंचायत भूखण्ड पर प्रकाश हुई। जिसमें तहसीलदार इकाई के रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार इकाई द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्राम कशकन में ख.न. 101 में नवीन ख.न. 101/2 खंका 14.11 कोटा एवं ख.न. 101/3 खंका 18.10 कोटा भूमि में PDRMP योजना तहत त्रैमासिक वार्षिक मुताबिक डिब्बी फालना कर दी गई। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मुताबिक तहसीलदार इकाई को फालना रिपोर्ट के आधार पर फालना की जा चुकी है। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर हॉप की जाती है। पञ्जावली प्रशासन ग्रांथ होकर दारिजल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)